<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू</u>

मु0नं0 171/2022 — आदेश दिनांकः 09.04.2025

अनुवानी

सरला शर्मा आदि — बनाम — नन्दकिशोर आदि

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

<u>आदेश</u>

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रार्थीगण प्रतिवादी सं. 3 से 6 की ओर से दिनांक 02.01.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से हैं कि अदालतवाला के समक्ष यह दावा पिता अर्जुनलाल के जीवित रहते उसकी पत्नी व उनकी लड़कियों के द्वारा दावा घोषणात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा व जमाबन्दी में नाम जुड़ाने का पेश किया गया है जबकि दावे में वर्णित अनुसार पिता अर्जुनलाल अभी जीवित है तथा एच.यू.एफ. अपने दादा की जायदाद बतलाकर पुश्तैनी मौरीसी बतलाकर दावा पेश किया गया है जबकि इन वादीगण को 1 ता 4 को उक्त दावा पेश करने का कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, न दावा लाने का अधिकार है। इसलिए दावा बिना सुनवाई के खारिज किये जाने योग्य है। सकसेशन एक्ट के मुताबिक पति के जीवित रहते पत्नी कोई अधिकार जायदाद में व जमाबन्दी में नाम जुड़वाने का अधिकार नहीं रहता है। इस कारण वादीगण को वाद लाने का अधिकार कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है जिस कारण दावा लाने का अधिकार वादीगण को नहीं है। यह कि दावा करते वक्त नन्दकिशोर जीवित थे, उनका बेटा अर्जुनलाल जीवित था, उस सूरत में जमाबन्दी में नाम चढ़ाने का दावा लाने का अधिकार वादीगण को नहीं है, बार्ड बाई लॉ है। इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है। जब नन्दकिशोर द्वारा सम्पूर्ण खेत अपने लड़कों के गवाही में हस्ताक्षर करवा कर विक्रय कर दिया तब खरीददार को अधिकार रहा जमाबन्दी में नाम लिखाने का जो लिखा गया, वादीगण का अधिकार कृषि भूमि बिकने से नहीं रहा। उस सूरत में बिना विक्रय पत्र निरस्त करवाये बगैर मालिकाना अधिकार नहीं होने से जमाबन्दी में नाम जुड़वाने का अधिकार पैदा नहीं होता है जिस कारण वाद लाने का अधिकार नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन हासिल न होने से दावा खारिज किये जाने योग्य है। अर्जुनलाल के जीवित रहते व नन्दकिशोर, जिस वक्त दावा किया, तब जीवित था, कतई वादकारण व कॉज ऑफ एक्शन वादीगण को हासिल नहीं था क्योंकि नन्दकिशोर अर्जुनलाल का पिता है व अर्जुनलाल भी जीवित है। उस सूरत में न तो ये वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी हैं, न खातेदारी में नाम जुड़वाने के अधिकारी हैं, उस सूरत में बार्ड बाई लॉ होने पर दावा खारिज किये जाने योग्य है। कानून के अनुसार कर्ता ऑफ खानदान नन्दकिशोर के द्वारा उक्त खेत को विक्रय किया जाना सामने आया है तथा अपने लड़कों का उन पर बतौर गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये हैं जो अपनी आवश्यकता अनुसार उसने विक्रय किया था। उस सूरत में वादीगण द्वारा विक्रय पत्र के बारे में कहने का अधिकार वादीगण को हासिल नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा बार्ड बाई लॉ होने से दावा बिना सुनवाई खारिज किये जाने योग्य है। कानून के अनुसार जो विक्रय पत्र नन्दकिशोर के द्वारा प्रतिव[illegible] 5 से 20 को किया गया जिसके आधार पर जमाबन्दी में उनका नाम चढ़ चुका है तथा [illegible] कानू[illegible] अधिकार होने से व नन्दकिशोर का नाम जमाबन्दी में नहीं होने से तथा अभी तक [illegible] है, उसका कोई निरस्तीकरण नहीं हुई है। उक्त विक्रय पत्र को [illegible] बिना यह दावा पेश क[illegible] अधिकार हासिल नहीं है जो कॉज ऑफ एक्शन न होने से वाद [illegible] सुनवाई के खारिज कर[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रतिवादी सं. 21 व 22 को पार्टी बनाया गया है तथा उक्त दावा में घोषणा चाही जाकर जमाबन्दी में नाम डालना चाहा गया है जो कि प्रतिवादी सं. 21 द्वारा चाहा गया है उस सूरत में धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है जो नहीं दिया गया है इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। नन्दकिशोर के द्वारा जो सम्पूर्ण जमीन बिक जाने की सूरत में जब तक विक्रय पत्र निरस्तीकरण का दावा नहीं किया जावे, उस खातेदारी में नाम नहीं जुड़वा सकते क्योंकि बार्ड बाई लॉ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि वादीगण का दावा बिना सुनवाई के खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से दिनांक 25.01.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि मद सं. 1 में लिखे तथ्य मुताबिक कानून के सही नहीं लिखे होने से तथा आधारहीन अंकित किये होने अस्वीकार की जाती है। मुताबिक हिन्दू लॉ/उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाप–दादा की सम्पत्ति में उनके पुत्र/पौत्रियों का By birth सम्पत्ति का अधिकार होता है। इस दावा में वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी अर्जुनलाल के दादा बैजनाथ जी की कृषि भूमि रही है, जब बैजनाथ जी की सम्पत्ति में उनके बेटे व उनके पोते अर्जुनलाल का अधिकार बना है तो ऐसी स्थिति में उनकी पड़पोतियों का भी कानूनन हक व अधिकार बनता है। इस बिनाह पर जब प्रतिवादी ने वादीगण को उनका अधिकार देने से दिनांक 15.06.2022 को इन्कार किया है, इसी दिनांक से cause of action हासिल हुआ है जिसका जिक्र दावे की मद सं. 7 में खुलासा करते हुए किया गया है। दरख्वास्त की मद सं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि वादिया श्रीमती सरला जो कि प्रतिवादी अर्जुनलाल की धर्मपत्नी है, मगर इस दावा में सरला के अलावा प्रतिवादी सं. 3 अर्जुनलाल की तीन बेटियां क्रमशः वादी सं. 2 से 4 भी बतौर वादी पक्षकार हैं इन्हें इस पैतृक सम्पत्ति में से जितना हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 अर्जुनलाल के हिस्से में आता है, उसमें से वादी सं. 2 से 4 का कानूनन हक व अधिकार बनता है व इसी मांग की गई है तथा इनके हिस्से में जितनी भी जमीन आती है, उसमें बतौर खातेदार अपना नाम अंकित कराने का कानूनन अधिकार है। इस कानून की स्थिति व रोशनी में मद सं. 2 मानने योग्य नहीं है, अस्वीकार की जाती है। मद सं. 3 में लिखे तथ्य विरूद्ध कानून अंकित किये होने से यह मद अस्वीकार की जाती है। स्व. बैजनाथ जी व नन्दकिशोर जी जो वादी सं. 2 ता 4 के पड़दादा व दादा रहे हैं, इस लिहाज से पैतृक सम्पत्ति में मुताबिक हिन्दू लॉ के अपने हिस्सा, अपने नाम करवाने का कानूनन अधिकार हासिल है। इस प्रकार This Suit is not barred by law नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में लिखे तथ्य Order 07 Rule 11 CPC के Legal provisious & Perview में Cover नहीं होते हैं, इसलिये अस्वीकार किये जाते हैं। मद सं. 5 में लिखे तथ्य मद सं. 3 व 4 में अंकित तथ्यों का Reptions है, इसलिये मद अस्वीकार की जाती है। मद सं. 6 में लिखे तथ्य व पूरी मद अस्वीकार की जाती है। मुताबिक हिन्दू लॉ के प्रतिवादी सं. 3 अर्जुनलाल के हिस्से की जितनी कृषि भूमि आती है उसमें से अपनी तीनों बेटियां जो वादी सं. 2 ता 4 हैं, का हिस्सा सुरक्षित रखते हुए सिर्फ अपना हिस्सा ही बेचने का अधिकार मिलता है, न कि अपनी बेटियों का। मद सं. 7 में अंकित किए गए तथ्य साक्ष्य के मोहताज हैं, जो दोनों पक्षों के बयान रिकार्ड करने के बाद ही तय हो सकते हैं। यह सभी तथ्य Order 07 Rule 11 CPC के Legal Perview में Cover नहीं होते हैं। मद सं. 8 में धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस के बाबत ऐतराज लिया गया है जो कतई Maintainable नहीं है, चूंकि प्रतिवादी सं. 21 व 22 को इस दावा में Formal Party बनाया गया है, इनके खिलाफ वादीगण ने कोई भी बेजा अनुतोष नहीं मांगा है, ऐसी स्थिति में धारा 80 [illegible] दिया जाना लाजमी नहीं बनता है। मद सं. 9 में प्रतिवादी ने जमीन बिक चुकी है, [illegible] अंकित किया है, मगर जानबूझकर यह नहीं लिखा है कि कितनी जमीन [illegible] कि वास्तविकता यह है कि वादगत कुल कृषि भूमि 44 बीघा [illegible] करीब 24 बीघा कृषि भूमि ही विक्रय की गई है, 20 बीघा कृषि भूमि अभी शेष है, इसी के बाबत [illegible]वादी के खिलाफ निषेधाज्ञा की रिलीफ मांगी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested

AG/
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थीगण/वादीगण ने जवाब के लीगल आब्जेक्शन के बिन्दु सं. 1 में अंकित किया कि यह दरख्वास्त मात्र दावे की व स्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही को बाधित करने व लम्बा करने की नीयत से पेश की है तथा पूरी दरख्वास्त में जो तथ्य अंकित किये है वे सभी शहादत के मोहताज हैं, बिना साक्ष्य रिकार्ड किये यह तथ्य सही नहीं माने जा सकते तथा इस दरख्वास्त में जो ऐतराज उठाये गये हैं, उन सब पर लीगल इश्यूज बनाये जायेंगे, उसके बाद ही यह सब तय हो सकते हैं। प्रतिवादी अपने जवाबदावा में व जवाब दरख्वास्त में इन सब ऐतराज को लेते हुए पेश करे फिर न्यायालय issues कायम करेगी व जो Legal issues होंगे उनको सुनकर तय करेगी, यही कानून सम्मत तरीका है। मुताबिक कानून के प्रतिवादीगण को Order 07 Rule 11 CPC के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही हासिल नहीं होता है। प्रतिवादीगण ने अपनी दरख्वास्त में धारा 151 C.P.C. का अंकन भी किया, जबकि इन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि धारा 151 C.P.C. सिर्फ और सिर्फ वहीं Applicable होती है जहां पर कोई भी Relief दिये जाने के बाबत C.P.C. में या सिविल लॉ में कोई Sections, order या Rule स्पष्ट रूप से न दिये गये हों, मगर यह दरख्वास्त तो स्पष्ट रूप से Order 07 Rule 11 CPC के तहत पेश की गई है, ऐसी स्थिति में धारा 151 C.P.C. का सहारा नहीं लिया जा सकता। अतः जवाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि Order 07 Rule 11 CPC व धारा 151 C.P.C कानून की रोशनी में प्रतिवादी की यह दरख्वास्त Maintainable नहीं होने की वजह से Vagu & bessless होने की वजह से With Heavy cost के साथ खारिज फरमाई जावे व वादीगण को हर्जाना दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए जाहिर किया कि वादीगण ने यह दावा अपने दादा व पिता के जीवित रहते अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92 ए आर.टी. ए. के तहत पेश किया है जिसके सम्बन्ध में कानूनी स्थिति यह है कि जहां पक्षकार का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं होता वहां धारा 53 के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत दावा में वादी सं. 1 का पति अर्जुनलाल मौजूद है, ऐसी स्थिति में कानूनन पति के जीवित रहते पत्नी का कोई हक हिस्सा उत्पन्न नहीं होता, पत्नी का हिस्सा उसके पति में ही निहित माना जाता है। इसलिए अपने ससुर, पति एवं दादा व पिता के मौजूद रहते वादीगण द्वारा पेश खाता विभाजन, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह दावा इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है। वादीगण ने दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादी सं. 21 व 22 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी नहीं दिया है जो कानून के प्रवाधान का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि उक्त प्रतिवादीगण से वादीगण ने खातेदारी में नाम जुड़वाने एवं उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। दावा में जिन विक्रय पत्रों का उल्लेख किया गया है उनके सम्बन्ध में कानूनी एवं वास्तविक स्थिति यह है कि विक्रय की गई भूमि के खातेदार नन्दकिशोर द्वारा यह कृषि भूमि अपने समस्त पुत्रों की सहमति से उचित प्रतिफल प्राप्त करते हुए प्रतिवादी सं. 15 से 20 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के साधिकार विक्रय की है। उक्त विक्रय पत्र आज भी वैध दस्तावेज हैं तथा इन्हीं विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी सं. 15 से 20 के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुके हैं। वादीगण ने दावा के अनुतोष में भी उक्त विक्रय पत्रों को शून्य व निरस्त करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है। ऐसी स्थिति में उक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना खाता विभाजन एवं खातेदारी घोषणा का वादीगण का यह दावा चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने अपने दावा में प्रत्येक वादी को 1/35 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाने के अनुतोष की मांग [illegible] तथ्य यह है कि वादीगण के उक्त उल्लेखित हिस्से कानूनन बनते ही नहीं हैं क्यों[illegible] 1 सरला शर्मा के पति अर्जुनलाल आज भी मौजूद हैं इसलिए पति के [illegible] कोई हक व हिस्सा कानूनन उत्पन्न ही नहीं होता है तथा [illegible] है तो 1/35 हिस्से की खातेदारी की मांग कानून के प्रावधानों के खिलाफ होने से बार्ड बाई [illegible] है। इस कारण दावा खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि हिन्दू लॉ के मुताबिक पैतृक सम्पत्ति में वारिसान का जन्म से ही हिस्सा होता है इसलिए बैजनाथ के वारिसान की ओर से पेश दावा किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में बार–बार कॉज ऑफ एक्शन नहीं होने का प्रश्न उठाया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि दावा की मद सं. 7 में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2022 को वादीगण के नाम विधिवत विभाजन कर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से इन्कार करने पर वाद कारण व वाद हैतुक प्राप्त होने का स्पष्ट अंकन किया गया है। इसलिए इनकी यह आपत्ति सिरे से खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी सं. 21 व 22 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने की आपत्ति उठाई है जिसके सम्बन्ध में कथन है कि उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ उनके हितों पर कोई हानिकारक प्रभाव डालने वाला अनुतोष नहीं चाहा गया है, उनको केवल फोरमल पार्टी बनाया गया है, इस तथ्य का अंकन दावा की मद सं. 8 में अंकन किया गया है। इसलिए प्रतिवादी सं. 21 व 22 दावा में फोरमल पार्टी होने के कारण दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है, जिससे यह आपत्ति भी खारिज करने योग्य है। मुताबिक कानून के प्रतिवादीगण को Order 07 Rule 11 CPC के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है, केवल न्यायालय को ही वाद खारिज करने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई विधिक आपत्तियों का निस्तारण इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं होकर दावा में तनकियात् कायम की जाकर पर्याप्त साक्ष्य व सुनवाई के बाद मैरिट के आधार पर किया जाता है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपने बहस कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. 2013 (4) DNJ Raj. HC 1743 Jaipur Bench,
2. 2011 (3) DNJ Raj. HC 1066 Jaipur Bench,
3. 2012 DNJ (SC) 683,
4. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के मु.नं. 169/2022 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. आदेश दिनांक 20.02.2025 आदि।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि उन्होंने इस प्रार्थना पत्र के जरिये वादीगण के वाद को खारिज किये जाने की मांग की है, जिसके मुख्य आधार प्रार्थीगण ने इस प्रकार से बताये हैं कि वादीगण द्वारा दावा अपने ससुर, पति व दादा व पिता के जीवित रहते पेश किया है जबकि पैतृक सम्पत्ति में पत्नी को अपने पति के जीवित रहते खाता विभाजन व खातेदारी घोषणा का दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए दावा बार्ड बाई लॉ है। वादीगण वर्तमान में खातेदार नहीं होने से धारा 53 आर.टी.ए. के तहत खाता विभाजन का दावा पेश करने के अधिकारी नहीं हैं। वादगत कृषि भूमि में से तत्समय के खातेदार नन्दकिशोर ने विक्रय पत्रों के जरिये कुछ कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 15 से 20 को विक्रय कर दी गई है तथा दावा में वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्रों को शून्य या निरस्त घोषित करने का अनुतोष भी नहीं मांगा गया है, इसलिए उक्त विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना खाता विभाजन व खातेदारी घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण की यह भी आपत्ति है कि दावा दायर करने के समय वादीगण के ससुर व दादा तथा पति व पिता जीवित हैं इसलिए उनको कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 21 व 22 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना पेश दावा बार्ड बाई लॉ होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब में दावा की मुख्य रिलीफ का उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि हिन्दू लॉ के मुताबिक पैतृक सम्पत्ति में वारिसान का जन्म से ही हिस्सा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * चूरू (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

होता है इसलिए बैजनाथ के वारिसान की ओर से पेश दावा किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है। दावा की मद सं. 7 में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2022 को वादीगण के नाम विधिवत विभाजन कर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से इन्कार करने पर वाद कारण व वाद हैतुक प्राप्त होने का स्पष्ट अंकन किया गया है। इसलिए वादीगण को कॉज ऑफ एक्शन इन्कारी की दिनांक से प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 21 व 22 के खिलाफ उनके हितों पर कोई हानिकारक प्रभाव डालने वाला अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिए प्रतिवादी सं. 21 व 22 दावा में फोरमल पार्टी होने के कारण दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है। मुताबिक कानून के प्रतिवादीगण को Order 07 Rule 11 CPC के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है, केवल न्यायालय को ही वाद खारिज करने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई विधिक आपत्तियों का निस्तारण इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं होकर दावा में तनकियात् कायम की जाकर पर्याप्त साक्ष्य व सुनवाई के बाद मैरिट के आधार पर किया जाता है। धारा 151 सीपीसी के सम्बन्ध में अंकित किया है उक्त धारा तभी लागू होती है या की जा सकती है जब किसी रिलीफ को दिये जाने बाबत कानून में कोई प्रावधान नहीं हो जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई बात नहीं है। वादीगण/अप्रार्थी ने अपने जवाब कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का भी अंकन किया है जिनमें 2013 (4) DNJ Raj. HC 1743 Jaipur Bench, 2011 (3) DNJ Raj. HC 1066 Jaipur Bench, 2012 DNJ (SC) 683, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के मु.नं. 169/2022 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. आदेश दिनांक 20.02.2025 आदि।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादीगण का यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92 ए आर.टी.ए का है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रा0पत्र की मद सं. 1 में आपत्ति की गई है कि वादीगण ने यह दावा अपने पति व पिता के जीवित रहते वादगत कृषि भूमि को अपने दादा की पुश्तैनी मौरीसी बतलाकर पेश किया है, इसलिए वादीगण को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होने से दावा खारिज योग्य है। वादीगण ने प्रा0पत्र के जवाब में यह स्पष्ट किया है कि मद सं. 7 में इन्कारी की दिनांक 15.06.2022 से कॉज ऑफ एक्शन हासिल है। प्रार्थीगण की आपत्ति है कि सक्सेशन एक्ट के मुताबिक पति के जीवित रहते पत्नी को जायदाद में कोई अधिकार व जमाबन्दी में नाम जुड़वाने का अधिकार नहीं होता है, वादीगण के दादा नन्दकिशोर दावा करने के समय जीवित थे व उनका बेटा अर्जुनलाल, जो वादीगण का पति व पिता है, भी जीवित था उस सूरत में जमाबन्दी में नाम चढ़ाने व दावा लाने का अधिकार वादीगण को नहीं है। इस आपत्ति के सम्बन्ध में वादीगण का कथन है कि वादी सं. 1 सरला प्रतिवादी सं. 3 की धर्मपत्नी है मगर वादी सं. 2 से 4 प्रतिवादी सं. 3 की पुत्रियां हैं इसलिए वादीगण को मुताबिक हिन्दू लॉ वादीगण को नाम जुड़वाने व दावा पेश करने का अधिकार है परन्तु वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी सं. 1 को यह अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होता है क्योंकि कानून की स्थिति इसके विपरीत है कि पति के जीवित रहते पत्नी को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता है, पत्नी का हिस्सा उसके पति में ही निहित होता है। इसलिए इस दावा में पति के जीवित रहते खातेदारी घोषणा की मांग करना विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से प्रार्थीगण की यह आपत्ति सही प्रतीत होती है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रावधान है कि जहां दावा किसी कानून से बाधित होता है तो इस प्रावधान के तहत खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की एक आपत्ति यह भी है कि वादीगण के ससुर व दादा ने वादगत कृषि भूमि में से जो भूमि प्रतिवादी सं. 15 से 20 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामों के विक्रय की है, उस भूमि में भी अपने हिस्से की घोषणा करवाने की मांग [illegible] जबकि वह भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 15 से 20 के नाम खातेदारी में दर्ज है [illegible] विक्रय पत्रों को शून्य या निरस्त घोषित करने का कोई अनुतोष [illegible] ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना उक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि में खातेदारी घोषणा व खाता विभाजन करवाने की मांग करना भी कानून के खिलाफ है। इस आपत्ति के सम्बन्ध के सम्बन्ध में वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के मद सं. 9 में कथन किया है कि कुल कृषि भूमि 44

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बीघा के करीब है जिसमें से करीब 24 बीघा कृषि भूमि ही विक्रय की गई है 20 बीघा कृषि भूमि अभी भी शेष है, इसी के बाबत प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा की रिलीफ मांगी गई है जबकि वादीगण ने दावा के अनुतोष मद 'क' में उक्त बेची गई भूमि में भी खातेदारी घोषणा व खाता विभाजन की मांग की है। दावा के लिखित अभिवचनों से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना विक्रय की गई भूमि में खातेदारी की घोषणा करवाकर खाता विभाजन किस प्रकार से सम्भव है जबकि उक्त विक्रय पत्रों को शून्य या निरस्त करवाने का कोई अनुतोष वादीगण ने नहीं मांगा है तथा न ही निरस्त करवाने की कार्यवाही करने बाबत कोई दस्तावेज ही पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण की यह आपत्ति भी सही प्रतीत होती है। वादीगण ने क्रेतागण को प्रतिवादी सं. 15 से 20 बनाया है परन्तु उनके विरूद्ध वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त होने का कोई अंकन दावा की प्लीडिंग में नहीं किया है, केवल प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खिलाफ वाद कारण प्राप्त होने का अंकन किया है तथा शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ भी वाद हैतुक प्राप्त होने का अंकन दावा में नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना वाद हैतुक के पेश दावा में उक्त प्रतिवादी सं. 4 से 20 के विरूद्ध कोई अनुतोष मांगना विधि के विपरीत है। इसलिए दावा में उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद हैतुक व वाद कारण प्रकट नहीं होता इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की यह आपत्ति स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण की आपत्ति है कि दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादी सं. 21 व 22 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने से दावा चलने योग्य नहीं है। इस बाबत वादीगण का कथन है कि इन प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई विपरीत प्रभाव डालने वाला अनुतोष नहीं चाहा गया है, केवल फोरमल पक्षकार बनाया गया है इसलिए इनको यह नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। दावा की प्लीडिंग के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 21 व 22 केवल फोरमल पक्षकार हैं, इनके खिलाफ कोई बेजां अनुतोष की मांग नहीं की गई है। इसलिए इनको धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिए यह आपत्ति तो स्वीकार करने योग्य नहीं है परन्तु प्रस्तुत दावा ससुर व पति तथा दादा व पिता के जीवित मौजूद रहते पेश किया गया है जिसमें यह तथ्य उल्लेखनीय है कि किसी भी पैतृक सम्पत्ति में अपने पति के मौजूद रहते पत्नी को कोई हक व हिस्सा विधिक रूप से प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, उसका हक हिस्सा उसके पति में ही निहित होता है। इसलिए यह दावा कानूनी रूप से बाधित की श्रेणी में आता है। दावा में केवल प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खिलाफ वाद हैतुक प्राप्त होने का अंकन है, शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद हैतुक का अंकन नहीं है। इस प्रकरण में कुछ कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 15 से 20 को जरिये पंजीकृत बैनामों के साधिकार विक्रय की जा चुकी है, उक्त विक्रय पत्रों को शून्य या निरस्त घोषित करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, किसी सक्षम न्यायालय में इन विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही करने का उल्लेख दावा की प्लीडिंग में नहीं है तथा कोई दस्तावेज भी इस बाबत पेश नहीं किया गया है। उक्त विक्रय पत्र आज भी वैध दस्तावेज हैं जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही किये बिना दावा वादीगण चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त 2013 (4) DNJ Raj. HC 1743 Jaipur Bench में वर्णित है कि ''आवेदन खारिज किया–विचारण न्यायालय ने टिप्पणी की कि सभी विधिक आपत्तियां पर तनकी बनाने के बाद विचार किया जायेगा– कैसे वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, आवेदन में उल्लेख नहीं किया– मियाद के सम्बन्ध में सामग्री नहीं–[illegible] में अवैधता या तात्विक अनियमितता नहीं है।'' न्यायिक दृष्टान्त 2011 (3) DNJ Raj. HC [illegible] 66 J[illegible] Bench में वर्णित है कि ''वादपत्र को खारिज करने हेतु आवेदन–पोषण[illegible] प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पेश करने का [illegible] न्यायालय ही वादपत्र खारिज करने हेतु शक्तियों का उपयोग कर सकता है–निर्णीत, आवेदन [illegible]षणीय नहीं था तथा आदेश न्यायसंगत व उचित है।'' न्यायिक दृष्टान्त 2012 DNJ (SC) 683 में वर्णित है कि ''Rejection of plaint-Court has

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Ah
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested

to examine the averments in the plaint only and the pleas taken by the defendants in its written statement would be irrelevant." न्यायिक दृष्टान्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के मु.नं. 169/2022 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. आदेश दिनांक 20.02.2025 में वर्णित है कि ''तकनीकी बिन्दु जिनकी पूर्ति की जा चुकी हो, को आधार मानकर दावा खारिज किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है–दावा किसी कानून से बाधित नहीं है–जब तक दावा विचाराधीन है, किसी भी स्तर पर हितबद्ध व्यक्ति को न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया जा सकता है–आवेदन इस प्रकरण में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया।'' उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत दावा पर सटीक रूप से चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि उक्त दृष्टान्तों के प्रकरण एवं प्रस्तुत दावा के तथ्य व परिस्थितियां भिन्न हैं। यहां पर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकन किया है कि कैसे वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादी सं. 1 का पति जीवित है तथा पति के जीवित रहते पैतृक सम्पत्ति में पत्नी को दावा पेश का अधिकार हासिल नहीं होता है। दावा में केवल प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खिलाफ वाद हैतुक प्राप्त होने का अंकन है, शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद हैतुक का अंकन नहीं है। इस प्रकरण में कुछ कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 15 से 20 को जरिये पंजीकृत बैनामों के साधिकार विक्रय की जा चुकी है, उक्त विक्रय पत्रों को शून्य या निरस्त घोषित करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, किसी सक्षम न्यायालय में इन विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही करने का उल्लेख दावा की प्लीडिंग में नहीं है तथा कोई दस्तावेज भी इस बाबत पेश नहीं किया गया है। उक्त विक्रय पत्र आज भी वैध दस्तावेज हैं जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही किये बिना दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना, विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर यह स्पष्ट जाहिर होता है प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस दावा में पोषणीय है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:20 IST
Reason: SelfAttested